



2026 के आम चुनाव में वोट डालने के लिए आपकी गाइड



vote.nz



2026 में क्या होगा और वोट कैसे डालें

सुनिश्चित कर लें कि मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज है और आपकी जानकारी अप टू डेट है।

2026 के आम चुनाव में वोट डालने के लिए आपका नाम **रविवार 25 अक्टूबर की आधी रात** तक मतदाता सूची में दर्ज होना ज़रूरी है। सोमवार 26 अक्टूबर को मतदान शुरू होने के बाद आप न तो नाम दर्ज करा सकेंगे और न ही अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे।

अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, आप न्यूजीलैंड के नागरिक हैं या चुनाव के लिहाज़ से यहाँ के निवासी हैं, और आप अपने जीवन में कभी न कभी लगातार 12 महीने या उससे ज़्यादा समय तक न्यूजीलैंड में रह चुके हैं, तो आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना ज़रूरी है।

चुनाव के लिहाज़ से आप तब निवासी माने जाते हैं, जब आप कानूनी रूप से न्यूजीलैंड में रह रहे हों और आपको किसी तय समय के भीतर देश छोड़ना ज़रूरी न हो।

अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करें, जाँचें या अपडेट करें

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना सिर्फ़ एक बार का काम नहीं है। आपको अपना नामांकन अप टू डेट रखना होगा, ताकि आप वोट डालने के लिए तैयार रहें।

अपने न्यूजीलैंड ड्राइवर लाइसेंस, न्यूजीलैंड पासपोर्ट या RealMe सत्यापित पहचान की मदद से **vote.nz** पर ऑनलाइन नाम दर्ज कराना, जानकारी जाँचना या अपडेट करना आसान है।

आप यह भी कर सकते हैं:

- नामांकन फ़ॉर्म मँगाने के लिए **0800 36 76 56** पर फ़ोन करें, या
- डाक से नामांकन फ़ॉर्म मँगाने के लिए **3676** पर अपना नाम और पता मुफ़्त भेजें।



**क्या आपको और
जानकारी चाहिए?**

- **vote.nz** पर जाएँ
- **0800 36 76 56** पर कॉल करें

नाम दर्ज कराने और वोट डालने की जानकारी **vote.nz** पर दूसरी भाषाओं और वैकल्पिक फ़ॉर्मेट में भी उपलब्ध है।

यह जानकारी अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और वोट डालने के लिए तैयार होने में उनकी मदद करें।

आपका EasyVote कार्ड

अगर आप रविवार 4 अक्टूबर तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं, तो आपको EasyVote कार्ड भेजा जाएगा।

अगर आपने हमें अपना ईमेल पता दिया है, तो आपका EasyVote कार्ड ईमेल से मिलेगा।

अगर हमारे पास सिर्फ़ आपका डाक का पता है, तो यह आपको डाक से मिलेगा।

अगर आपका नाम अप्रकाशित मतदाता सूची में है, तो आपको डाक से मतदान पर्ची भेजी जाएगी।

आपका EasyVote कार्ड मतदान को तेज़ और आसान बनाता है। आप इसके बिना भी वोट डाल सकते हैं, पर मतदान केंद्र पर थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है।

अगर आप रविवार 4 अक्टूबर के बाद, लेकिन रविवार 25 अक्टूबर की आधी रात से पहले नाम दर्ज कराते हैं, तो आपको EasyVote कार्ड नहीं मिलेगा।

वोट कब और कहाँ डालें

आपको वोट डालने के लिए चुनाव वाले दिन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है।

मतदान शुरू: सोमवार 26 अक्टूबर

मतदान समाप्त: चुनाव वाले दिन, शनिवार 7 नवंबर को शाम 7 बजे

मतदान केंद्र सोमवार 26 अक्टूबर से शनिवार 7 नवंबर तक खुले रहेंगे।

मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी, जिसमें उनके खुलने के दिन और समय भी शामिल हैं, आपको **vote.nz** पर मिल जाएगी या आप **0800 36 76 56** पर फ़ोन करके भी ले सकते हैं।

चुनाव वाले दिन, शनिवार 7 नवंबर को, सभी मतदान केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे।

वोट कैसे दें

1 अपना EasyVote कार्ड साथ लाएँ

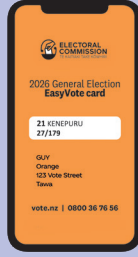
अपना EasyVote कार्ड या मतदान पर्ची साथ ले जाएँ, क्योंकि इससे मतदान करना अधिक आसान हो जाएगा।

अगर आपको अपना EasyVote कार्ड ईमेल से मिला है, तो आप अपना डिवाइस साथ ला सकते हैं और स्क्रीन पर हमें अपना कार्ड दिखा सकते हैं।

अगर आप चाहें, तो आप मतदान केंद्र जाने से पहले इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं या अपने कार्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।

आपके EasyVote कार्ड पर आपकी जानकारी होती है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ आप ही कर सकते हैं।

अगर वोट डालने जाते समय आपके पास अपना EasyVote कार्ड नहीं है, तब भी आप वोट डाल सकते हैं।



2 मतदान केंद्र पर आपकी मदद के लिए कोई न कोई मौजूद रहेगा

आपके मतदान केंद्र पर मौजूद चुनाव कर्मचारी आपको बताएँगे कि आपको क्या करना है और कहाँ जाना है।

3 आम चुनाव में वोट डालें

आम चुनाव में आपको दो वोट मिलते हैं – एक पार्टी वोट और एक निर्वाचन क्षेत्र वोट।

आपका पार्टी वोट



आपका पार्टी वोट उस राजनीतिक दल के लिए है जिसका आप समर्थन करना चाहते हैं। यह वोट मोटे तौर पर यह तय करता है कि संसद में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। पार्टी वोट का बड़ा हिस्सा रखने वाली पार्टियों को संसद में अधिक सीटें मिलेंगी। आप राजनीतिक दलों की उसी सूची में से चुन सकते हैं, चाहे आप सामान्य सूची में हों या माओरी सूची में। अपने वोटिंग पेपर पर, अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी के नाम पर टिक लगाएँ।

आपका निर्वाचन क्षेत्र वोट



आपका निर्वाचन क्षेत्र वोट उस उम्मीदवार को चुनने के लिए होता है, जिसे आप अपने इलाके का सांसद (एमपी) बनाना चाहते हैं।

अगर आपका नाम माओरी मतदाता सूची में है, तो आप माओरी निर्वाचन क्षेत्र से खड़े उम्मीदवार को वोट देंगे।

अगर आप आम सूची पर हैं, तो आप आम निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे। अपने मतपत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के आगे सही का निशान लगाएँ, जिसे आप अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करते हुए सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वही आपके निर्वाचन क्षेत्र का सांसद बनेगा।



पार्टी वोटों का यह अनुपात



संसद में सीटों का उतना ही अनुपात

4 अपना मतपत्र वहाँ रखी मतपेटी में डाल दें

और बस इतना ही — आपका वोट पड़ गया!



मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते?



अगर आप मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते, जैसे बीमारी, उम्र या किसी शारीरिक अक्षमता के कारण, तो वोट डालने के लिए आपको मदद मिल सकती है। अगर आप किसी केयर होम में रहते हैं, तो मतदान की व्यवस्था करने के लिए आपके स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधक आपके केयर होम से संपर्क करेंगे। अगर आप अस्पताल में होने की वजह से मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते, तो सोमवार 26 अक्टूबर से कोई दोस्त या परिवार का सदस्य आपके मतपत्र आप तक ला सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए vote.nz पर जाएँ या अपने विकल्पों पर बात करने के लिए **0800 36 76 56** पर फ़ोन करें।

विदेश से वोट डालना



अगर सोमवार 26 अक्टूबर को मतदान शुरू होते समय आप आओटेरोआ न्यूजीलैंड में ही होंगे, तो यहाँ से रवाना होने से पहले वोट डाल देना ज्यादा आसान रहेगा। अगर आप विदेश से वोट डाल रहे हैं, तो रविवार 25 अक्टूबर की आधी रात (न्यूजीलैंड समय) तक मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होना ज़रूरी है। आप vote.nz पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं या अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। आप विदेश से बुधवार 21 अक्टूबर से लेकर शनिवार 7 नवंबर की शाम 7 बजे (न्यूजीलैंड समय) तक वोट डाल सकते हैं। विदेश से वोट डालने का सबसे आसान और तेज़ तरीका यह है कि आप अपने मतपत्र डाउनलोड करके भरें और फिर उन्हें vote.nz पर अपलोड कर दें। हो सकता है कि आप विदेश में बने किसी मतदान केंद्र पर जाकर खुद भी वोट डाल सकेंगे। विदेशी मतदान केंद्रों की सूची vote.nz पर उपलब्ध रहेगी। अगर इनमें से कोई भी विकल्प आपके लिए ठीक न बैठे, तो मदद के लिए overseas@vote.nz पर ईमेल करें या **+64 9 909 4182** पर फ़ोन करें (इस पर अंतरराष्ट्रीय कॉल दरें लग सकती हैं)।

मतपत्र पढ़ने या उस पर निशान लगाने में मदद चाहिए?



कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या मतदान केंद्र पर काम करने वाला कोई व्यक्ति आपका मतपत्र पढ़ने या उस पर निशान लगाने में आपकी मदद कर सकता है। वह व्यक्ति:

- आपके साथ वोटिंग स्क्रीन के पीछे जा सकता है
- वोटिंग पेपर पर लिखे शब्दों और जानकारी को पढ़ कर सुना सकता है
- आपके कहने पर आपकी ओर से मतपत्र पर निशान लगा सकता है।

वह आपको यह नहीं बता सकता कि आपको किस वोट देना चाहिए।

अगर आप दृष्टिहीन हैं, आंशिक रूप से दृष्टिहीन हैं या आपकी कोई ऐसी शारीरिक अक्षमता है जिसकी वजह से आप बिना मदद के मतपत्र पर निशान नहीं लगा सकते, तो आप टेलीफ़ोन डिवटेशन सेवा के ज़रिए वोट डाल सकते हैं।

इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना होगा। आप **5 अक्टूबर** से रजिस्टर कर सकते हैं — इसके लिए **0800 028 028** पर फ़ोन करके रजिस्टर करने के लिए विकल्प 1 चुनें या dictation@vote.nz पर ईमेल करें।

इस सेवा के बारे में अधिक जानने के लिए vote.nz पर जाएँ।

